भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 1424
गुरूवार, 09 दिसम्बर, 2021/18 अग्रहायण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नीति

1424. डा. सी.एम. रमेश:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र पर्यटन ने राज्य के तटीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीच शैक पॉलिसी शुरू की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या मंत्रालय की पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के अन्य तटीय क्षेत्रों में ऐसी कोई नीति है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी हाँ, महोदय। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने जीआर नंबर टीडीएस 2020/02/सी.आर. 138/पर्यटन दिनांक 17.08.2020 के माध्यम से बीच शैक पॉलिसी घोषित की है। इस बीच शैक पॉलिसी के माध्यम से पर्यटकों को शौचालय, शैक, चेंजिंग रूम, क्लोक रूम जैसी सामान्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा रूचि रखने वाले व्यक्तियों को भोजन के लिए डेक बेड के साथ शैक भी आवंटित किए जाते हैं और 70% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होते हैं।

(ख): पर्यटन का विकास और संवर्द्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, ने ऐसी कोई नीति तैयार नही की है।

****